संख्या–2130 / सत्तर–2–2003–16(106) / 03

के0के0 उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, उ0शि0,
उ0प्र0, इलाहाबाद

2– कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उ0प्र0

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 27 जून 2003

विषयः बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रोवर्स / रेंजर्स के प्रमाण पत्रों के आधार चपर अधिमान्य अंक दिया जाना।

महोदय,

मुख्यायुक्त उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्र संख्या टी0एस0–17 / 6–2003–2004 दिनांक 19 मई 2003 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य विश्वविद्यालय / घटक / सम्बद्ध / सहयुक्त महाविद्यालयों में बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को निम्न प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्न अधिमान्य अंक प्रदान किया जा रहा हो।

1–	कोमल पद	
2–	ध्रुव पद	
3–	गुरू पद	05 अंक
4–	राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र	10 अंक
5–	राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र	15 अंक

(2) उक्त पत्र में यह भी अवगत कराया गया है कि भारत की सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 26–11–1989 से उक्त प्रमाण पत्रों के नामों में परिवर्तन कर दिये गये हैं। परिवर्तित परीक्षायें / प्रमाण पत्र के नाम निम्नवत कर दिये गये हैं।

परीक्षा के पुराने नाम		समकक्ष परीक्षा के नये नाम
1–	कोमल पद	प्रथम सोपान
2–	ध्रुव पद	द्वितीय सोपान
3–	गुरू पद	तृतीय सोपान

(3) विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के स्तर पर स्काउटिंग / गाइडिंग की वरिष्ठ शाखा रोवर्स / रेंजर्स के रूप में कार्यरत है। जिनमें रोवर्स / रेंजर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तथा निम्न विवरण के अनुसार परीक्षांए ली जाती है–

1– प्रवेश

2– प्रवीण

Scanned with CamScanner

४- निपुण

५- राष्ट्रपति पुरस्कार

(4) चूँकि पूर्व में रोवर्स/रेंजर्स प्रमाण पत्रों के आधार पर कोई अधिमान्य अंक (वेटेज)प्राविधान नहीं है अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि बी०एड० कक्षाओं के प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को रोवर्स/रेंजर्स के निम्न प्रमाण पत्रों के आधार पर सम्मुख अंकित अधिमान्य अंक प्रदान किये जायें।

1-	प्रवीण	5 अंक
2-	निपुण	10 अंक
3-	राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र	15 अंक

(5) समस्त राज्य विश्वविद्यालय कृपया उपरोक्तानुसार अधिमान्य अंक (वेटेज) दिये जाने हेतु अपने अध्यादेशों में प्राविधान किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

के०के० उपाध्याय,
विशेष सचिव

संख्या-2130/ सत्तर-2-2003-- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1- मुख्यायुक्त, भारत स्काउट एवं गाइडस एवं शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ0प्र0 को उनके पत्र दिनांक 19 मई 2003 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2- उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

के0के0 उपाध्याय,
विशेष सचिव

संख्या-2130/सत्तर-2-2003-16(06)/03 दिनांक 27 जून 2003

पृ0सं0 डिग्री विकास/6762-7232/2003-04 दिनांक 22-10-2003

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1- समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय , उ0प्र0

2- समस्त राजकीय महाविद्यालय, उ0प्र0।

3- कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

ह0/-

डा0 दिग्विजीत तिवारी,
शिक्षा निदेशक, उ0शि0,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

Scanned with CamScanner